

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]  
No. 19]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 1994/ज्येष्ठ 5, 1916  
DELHI, THURSDAY, MAY 26, 1994/JYAISTHA 5, 1916

[पी. आर. डी. सं. 112  
[P. R. D. No. 112

भाग IV  
PART IV

भाग-1 में सम्मिलित अतिरिक्त विभागों के छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएँ  
Notifications of Departments of the Delhi Administration other than  
notifications included in Part I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(नियंत्रण एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

दिनांक, 18 मई, 1994

संख्या एन. 5/7/92-चि. व जन स्वा. (1).--स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 12 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-72/57-सं. के साथ पठित प्रोपिधि प्रो. वमल्कारिक उपचार (प्रति-जनक विकास) अधिनियम, 1954 की धारा 8 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल निर्देशक श्री क. टी. रघु कुमार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए प्रोपिधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

DEPARTMENT OF MEDICAL & PUBLIC HEALTH

NOTIFICATIONS

Delhi, the 18th May, 1994

No. F. 5/7/92-M&PH (1).--In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and

Cosmetics Act, 1940 read with the Government of India, Ministry of Health's Notification No. 12-72/57-D dated the 12th October 1940 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri K. T. Raghu Kumar having the prescribed qualifications, as Inspector for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

संख्या एन. 5/7/92-चि. व जन स्वा. (2).--स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 12 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12/72/57 सं. के साथ पठित प्रोपिधि प्रो. वमल्कारिक उपचार (प्रति-जनक विकास) अधिनियम, 1954 की धारा 8 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री क. टी. रघु कुमार प्रोपिधि निरीक्षक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए प्रोपिधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के प्रादेश से तथा उनके नाम पर

नेत्र प्रकाश, मन्दा मन्दिन (नियंत्रण)

No. F. 5[7]92-M&PH (2).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Drugs and Magic Remedies (objectionable Advertisements) Act, 1954 read with the Government of India, Ministry of Health, Notification No. 12-72[57-D dated 12th October 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorise Shri K. T. Raghu Kumar, Drugs Inspector to do all act under the said section within the National Capital Territory of Delhi.

By order and in the name of  
the Lt. Governor of the  
National Capital Territory  
of Delhi.

VED PRAKASH, Jt. Secy. (Medical)

राजस्व विभाग

प्रविष्टिभवा

दिल्ली, 19 मई, 1994

संख्या एक. 11(11)/रा. स्था./डी.सी. (i).—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राज्यघातक क्षेत्र के उ-राज्यपाल श्री राकेश नागपाल, दानिस आ. की राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली में जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं, गृहयुक्त कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

संख्या एक. 11(11)/रा. स्था./डी.सी. (ii).—राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली में गवा-विस्तारित उत्तरी भारत केसाल एवं ड्रेनज अधिनियम, 1954 की धारा 27(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली के उ-राज्यपाल श्री राकेश नागपाल, दानिस आ. की जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं गृहयुक्त कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

संख्या एक. 11(11)/रा. स्था./डी.सी. (iii).—दिल्ली भू-सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली के उ-राज्यपाल श्री राकेश नागपाल, दानिस आ. की जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं, गृहयुक्त कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

संख्या एक. 11(11)/रा. स्था./डी.सी. (iv).—दिल्ली भू-सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 8(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली के उ-राज्यपाल श्री राकेश नागपाल, दानिस आ. की जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं गृहयुक्त कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

संख्या एक. 11(11)/रा. स्था./डी.सी. (v).—राज्य राजघातक क्षेत्र, दिल्ली में गवा-विस्तारित उत्तरी भारत केसाल एवं ड्रेनज अधिनियम,

1873 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली के उ-राज्यपाल श्री राकेश नागपाल, दानिस आ. की जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं, गृहयुक्त कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

संख्या एक. 11(11)/रा. स्था./डी.सी. (vi).—राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली में गवा-विस्तारित उत्तरी भारत केसाल एवं ड्रेनज अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजघातक क्षेत्र दिल्ली के उ-राज्यपाल श्री राकेश नागपाल, दानिस आ. की जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं, गृहयुक्त कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th May, 1994

No. F. 11(11)|Rev. Estt.|DC 3904-6(i).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Rakesh Nagpal, DANICS officer to be Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi till such time he occupies this post.

No. F. 11(11)|Rev. Estt. DC 3904-6(ii).—In exercise of the powers conferred by section 27(1)(b) of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforcee in the National Capital Territory of Delhi, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Rakesh Nagpal, DANICS officer, the powers of Assistant Collector, 1st grade in the said National Capital Territory of Delhi till such time he occupies this post.

No. F. 11(11)|Rev. Estt. DC 3904-6(iii).—In exercise of the powers conferred by section 15(1) of the U. P. Land Revenue Act, 1901 as enforcee in National Capital Territory of Delhi, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Rakesh Nagpal, DANICS officer, the powers of Assistant Collector, 1st grade in the National Capital Territory of Delhi till such time he occupies this post.

No. F. 11(11)|Rev. Estt. DC 3904-6(iv).— In exercise of the powers conferred by section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Shri Rakesh Nagpal,